का अवलोकन किया तो स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी उभय-पक्षकारों की शामलाती आराजी है तथा अभी विधिक विभाजन नहीं हो रखा है अतः सहखातेदार के विरुद्ध बिना विभाजन अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बनता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल-शुमार हो मूल वाद के साथ संलग्न हो कं० से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

Scanned with CamScanner